तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मंजूलता . बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 161/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी मंजूलता गर्ग पत्नी स्व. कन्हैयालाल, निवासी ई/36, चौ. हा.बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.02.23. में उसके द्वारा (1) कलक्टर कार्यालय जोधपुर में स्व. कन्हैयालाल गर्ग क.लि. के पद पर कार्यरत रहे जिनका वेतन आदि का भुगतान किया गया था उक्त अवधि का जी.ए. 55 दिलाने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कर्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 929 दिनांक 01.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुए जिसके अनुसार अपीलार्थीया/प्रार्थीया को जरिये पत्रांक 439 दिनांक 06.04.23 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में स्व. कन्हैयालाल गर्ग क.लि. इस कार्यालय में कार्यरत होने का संभवतया अवधि का अंकन किया गया है, स्पष्ट अवधि का उल्लेख नहीं किया है जिस कारण जी.ए. 55 जारी किया जाना संभव नहीं है। चूकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थीया को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	